/396

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

मिसल नम्बर – 2022 / 396

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

बनाम

1. अंकुश पुत्र रामेश्वर जाति धाकड निवासी सा0 देह हाल सीतापुरा तालेडा
2. कमलेश्वर पुत्र लटूरलाल जाति धाकड निवासी सा0 देह हाल सीतापुरा तालेडा
3. कृष्णा पुत्री मोडूलाल जाति धाकड निवासी सा0 देह हाल सीतापुरा तालेडा
4. किरण पुत्री रामेश्वर जाति धाकड निवासी सा0 देह हाल सीतापुरा तालेडा
5. गायत्री पुत्री मोडूलाल जाति धाकड निवासी सा0 देह हाल सीतापुरा तालेडा
6. चिंटू पुत्र रामकरण जाति धाकड निवासी सा0 देह हाल सीतापुरा तालेडा
7. देवलाल पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी सा0 देह गुवांर तहसील बूंदी
8. पृथ्वीराज पुत्र मोडूलाल जाति धाकड निवासी सा0 देह हाल सीतापुरा तालेडा
9. प्रेमचन्द पुत्र लटूरलाल जाति धाकड निवासी सा0 देह हाल सीतापुरा तालेडा
10. बीनता पुत्री हीरालाल जाति धाकड सा0 देह हाल निवासी कैथूदा तालेडा
11. भगवानलाल पुत्र लटूरलाल जाति धाकड निवासी सा0 देह हाल सीतापुरा तालेडा
12. भूलीबाई पुत्री हीरालाल जाति धाकड निवासी सा0 देह हाल निवासी कैथूदा तालेडा
13. मूलचन्द पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी सा0 देह हाल सीतापुरा तालेडा
14. रघुराज पुत्र मोडूलाल जाति धाकड निवासी सा0 देह हाल सीतापुरा तालेडा
15. रामजानकीबाई पुत्री गोपाल जाति धाकड निवासी सा0 देह हाल सीतापुरा तालेडा
16. रामसुखी पत्नी स्व0 मोडूलाल जाति धाकड निवासी सा0 देह हाल सीतापुरा तालेडा
17. शम्भूदयाल पुत्र हीरालाल जाति धाकड निवासी सा0 देह हाल निवासी कैथूदा तालेडा
18. शारदा पत्नी स्व0 रामेश्वर जाति धाकड निवासी सा0 देह हाल सीतापुरा तालेडा
19. सत्यनारायण पुत्र मोडूलाल जाति धाकड निवासी सा0 देह हाल सीतापुरा तालेडा
20. सुरेन्द्र पुत्र लटूरलाल जाति धाकड निवासी सा0 देह हाल सीतापुरा तालेडा
21. सूर्यप्रकाश पुत्र रामेश्वर जाति धाकड निवासी सा0 देह हाल सीतापुरा तालेडा
22. सुशीलाबाई पुत्री गोपाल जाति धाकड निवासी सा0 देह हाल सीतापुरा तालेडा
23. हरिमोहन पुत्र रामकरण जाति धाकड निवासी सा0 देह गुवांर तहसील बूंदी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

2022/396

File No

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

निर्णय दिनांक 30.01.2025

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस बाबत् प्रस्तुत किया गया कि –

- ग्राम रंगपुर की आराजी भूमि खाता नम्बर 51 खसरा नम्बर 180 रकबा 0.01 है0 किस्म खेडा तथा खसरा नम्बर 181 रकबा 0.23 है0 किस्म बारानी दोयम प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।
- वर्तमान में उक्त आराजी पर स्कूल व अटल सेवा केन्द्र का भवन बना हुआ है। अतः कृषि भूमि का अकृषि उपयोग होने से कृषि भूमि का स्वरूप बिगाड कर बदल दिया गया है जो पूर्णतया अधिनियम के प्रावधान के विरूद्व है। खातेदारों द्वारा काश्तकारी शर्तों का उल्लघन किया गया है।
- प्रतिवादी की कृषि भूमि का उपयोग अकृषि कार्य में हो रहा है जो काश्कारी शर्तों का पूर्णतया उल्लघन है।

प्रार्थना – प्रतिवादी की उक्त आराजी ग्राम रंगपुर तहसील लाडपुरा की कृषि भूमि खाता नम्बर 51 खसरा नम्बर 180 रकबा 0.01 है0 किस्म खेडा तथा खसरा नम्बर 181 रकबा 0. 23 है0 किस्म बारानी दोयम को सिवायचक घोषित कर प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जाराज में लिये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी पृथ्वीराज मालव, सूर्यप्रकाश, रघुराज मालव, मूलचंद मालव, सत्यनारायण मालव, अंकुश मालव, व कमलेश्वर उपस्थित हुए शेष प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उपस्थित प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि हमारे खाते की आराजी खाता नम्बर 51 खसरा नम्बर 180 रकबा 0.01 है0 किस्म खेडा तथा खसरा नम्बर 181 रकबा 0.23 है0 किस्म बारानी दोयम वाके ग्राम रंगपुर पटवार हल्का रंगपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है जिस पर मेरा व मेरे परिवार का हक व अधिकार चला आ रहा है उक्त खाते की आराजी को सरकारी विद्यालय के उपयोग में ले लिया जावे जिससे उसमे खेल का मैदान बन जायेगा। जिसमें मेरे और मेरे सभी खातेदारों की पूर्ण सहमति है। हमारी आराजी का उपयोग विद्यालय में होने की हमारे द्वारा कोई राशि नही ली जावेगी। उपस्थित प्रतिवादीगण द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि उक्त कार्य हेतु हमारे दादा जी रामगोपाल जी मालव के नाम का शिलापट्ट लगवाया जावे।

प्रार्थी व उपस्थित प्रतिवादियों की बहस सुनी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों से प्रमाणित है कि हस्तगत खसरा नम्बरान पर वर्तमान में ग्राम पंचायत रंगपुर का अटल सेवा केन्द्र तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रंगपुर का भवन बना हुआ है, तथा उक्त दोनो कार्यालय वर्तमान में संचालित है। रिपोर्ट पटवारी से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त दोनो सरकारी कार्यालय कई वर्षो पूर्व से संचालित है।

न्यायालय द्वारा स्वयं मौके का निरीक्षण किया गया। मौके पर ग्राम पंचायत का भवन व विद्यालय का भवन बना हुआ है, शेष भूमि पर आंशिक रूप से ग्राम वासियों का अतिक्रमण है। ग्राम वासियों द्वार अवगत कराया गया कि प्रतिवादी खातेदार वर्तमान में गांव में निवास नही करते।

हमारे विनम्र मत में ग्राम रंगपुर की आराजी खाता नम्बर 51 खसरा नम्बर 180 रकबा 0.01 है0 किस्म खेडा तथा खसरा नम्बर 181 रकबा 0.23 है0 किस्म बारानी दोयम का वर्तमान में कृषि कार्य हेतु उपयोग नही किया जा रहा है। कृषि भूमि का अकृषि उपयोग होने से भूमि का स्वरूप बदल दिया गया है।

उपरोक्त स्थिति मे हम तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रंगपुर की आराजी खाता नम्बर 51 खसरा नम्बर 180 रकबा 0.01 है0 किस्म खेडा तथा खसरा नम्बर 181 रकबा 0.23 है0 किस्म बारानी दोयम को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावें।

साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में यह न्यायालय यह न्यायोचित पाता है कि चुंकि उपस्थित प्रतिवादीगण द्वारा हस्तगत भूमि को विद्यालय भवन व खेल मैदान हेतु देने के लिए सहमति व्यक्त की गई है। अतः प्रतिवादीगण की इच्छा के अनुरूप प्रतिवादीगण के दादा रामगोपाल जी मालव के नाम का शिलापट्ट खेल मैदान में यथा स्थान लगाने हेतु निर्णय की प्रति विकास अधिकारी लाडपुरा तथा ब्लॉक शिक्षा अधाकरी लाडपुरा को प्रेषित किया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा